प्रकाशन का 47 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 08-15 अगस्त 2022 मूल्य पांच रूपए

प्रधान सचिव सहित आधा दर्जन अधिकारियों की मूल पोस्टिंग एक साथ शिमला और दिल्ली में कैसे

- दो जगह एक ही समय में मूल पोस्टिंग होना कैसे संभव हो सकता है
- दो जगह सरकारी आवास मिलना क्या नियमों में है?
- जब दिल्ली में भी मूल पोस्टिंग है तो दिल्ली यात्राओं पर टी ए, डी ए कैसे?
- क्या सरकार ने इन अधिकारियों को अपने ट्रैप में ले लिया है?
- क्या चुनावों में यह अधिकारी सरकार की इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बनेंगे
- आज प्रदेश का कर्ज भार जीडीपी के 38% से भी अधिक हो गया है। इस पर वित्त विभाग की खामोशी क्या इसी ट्रैप का परिणाम है?

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव शुभाशीष पाण्डा सहित प्रदेश सरकार के आधा दर्जन वरिष्ठ अधिकारी एक साथ शिमला और दिल्ली में तैनात हैं। दोनों जगह प्रदेश सरकार ने इन्हें मूल पोस्टिंग दे रखी है। दोनों जगह मूल पोस्टिंग होने के कारण यह लोग शिमला और दिल्ली में भी सरकारी आवास लिये हुये हैं। व्यवहारिक तौर पर यह लोग शिमला में ही सेवाएं दे रहे हैं। बल्कि शिमला सचिवालय में तैनात होने के कारण इस उपलक्ष में मिलने वाले सचिवालय वेतन का भी लाभ ले रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में आवासीय आयुक्त के यहां भी मूल पोस्टिंग होने के कारण केन्द्र सरकार के संपदा निदेशालय से भी आवास लिये हुए हैं। संयोगवश केन्द्र के संपदा निदेशालय में भी हिमाचल कॉडर की ही अधिकारी निदेशक के तौर पर तैनात है और उसी के आदेशों से इन लोगों को दिल्ली में भी सरकारी आवास मिले हैं जबकि उसे यह जानकारी रही है कि इन अधिकारियों के पास शिमला में भी सरकार आवास हैं। लेकिन हिमाचल कॉडर और इन अधिकारियों से जूनियर होने के कारण इस पर एतराज नहीं कर पायी है।

नियमों के अनुसार कोई भी अधिकारी उसी स्थान पर सरकारी आवास लेने का हकदार होता है जहां उसकी मूल पोस्टिंग होती है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पद और उस पर अधिकारी की तैनाती उसी स्थान पर होगी जहां मुख्यमन्त्री है। अब जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उस समय प्रधान सचिव दिल्ली में तैनात होकर इस पद की जिम्मेदारियां कैसे निभा सकता है। जबकि प्रधान सचिव शुभाशीष पांडा का 7 अक्तूबर 2021 से दिल्ली में बतौर एडवाईजर स्थानान्तरित और पोस्टेड हैं। इसी पोस्टिंग के आधार पर उन्होंने भारत सरकार की संपदा निदेशालय से दिल्ली में आवास के लिये आवेदन किया है और आवास मिल भी गया। अब उनके पास दोनों जगह शिमला और दिल्ली में एक साथ सरकारी आवास हैं। यही नहीं शिमला में सचिवालय विशेष वेतन का लाभ ले रहे हैं और दिल्ली में टूर पर जाने के लिये टी ए, डी ए का लाभ भी ले रहे हैं। ऐसा सभी आधा दर्जन अधिकारी जो शिमला और दिल्ली में एक साथ मूल पोस्टिंग पर तैनात हैं तथा आवास लिये हुये हैं। सवाल उठ रहा है कि ऐसा दोहरा वित्तीय लाभ लेना नियमों के अनुसार संभव है या नहीं। स्मरणीय है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का ऐसा आचरण एक कनिष्ठ अधिकारी को सचिवालय वेतन का लाभ न देने पर उठा था क्योंकि उसकी मूल पोस्टिंग तब किसी निदेशालय में नहीं थी। तब यह सामने आया था कि सीनियर तो दो दो जगह सरकारी आवास लेकर बैठे हुए हैं और जूनियर को सचिवालय वेतन से भी वंचित रखा जा रहा है।

यह है जयराम का प्रशासन

इस परिदृश्य में यह सवाल अहम हो जाता है कि जब सरकारी आवास लेने के नियमों में पोस्टिंग स्थल पर मूल पोस्टिंग होना अनिवार्य है और यह मूल पोस्टिंग एक समय में एक ही जगह हो सकती है तो सरकार ने दो-दो जगह मूल पोस्टिंग के आदेश क्यों कर दिये? क्या अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कानून के इस पक्ष की जानकारी ही नहीं होने दी? या फिर इन अधिकारियों को ही ऐसे ट्रैप में ला खड़ा कर दिया गया जहां यह सरकार के किसी भी गलत आदेश पर कोई प्रश्न ही न उठा सके। किसी के भी खिलाफ कोई भी मामला खड़ा करके राजनीतिक आकाओं को खुश कर सकें। आने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसे फसे हुए अधिकारी कुछ भी करने को नतमस्तक रहेंगे ही। इस समय प्रदेश के कर्ज को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नियमों के मुताबिक कर्ज जीडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। कोविड काल में इसकी सीमा पांच प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी थी। लेकिन अब विधानसभा के मानसून सत्र में विधायक रोहित ठाकुर के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह स्वीकारा है कि आज कर्ज जीडीपी 38% से भी अधिक हो गया है। कर्ज की सीमा की अनुपालना करना वित्त सचिव का दायित्व है लेकिन जब वित्त विभाग का मुखिया भी शिमला और दिल्ली में सरकारी आवास लेने का लाभार्थी होगा तो ऐसा अधिकारी नियमों के अनुपालन का साहस दिखा पायेगा यह सामान्य विवेक की बात है। जितने भी अधिकारी शिमला और दिल्ली में एक साथ मकानों के लाभार्थी हैं उनके विभागों की कारगुजारीयों में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा राज्य सरकार ही इन अधिकारियों को केन्द्र सरकार को चूना लगाने में प्रोत्साहित कर रही है ताकि चुनावों में इनसे मनचाहा सहयोग ले सके।

No. GAD-D (G) 1-47/2018
Government of Himachal Pradesh
General Administration Department

From
The Secretary (GAD) to the
Government of Himachal Pradesh

To
The Pr. Residential Commissioner,
Government of Himachal Pradesh,
Himachal Bhawan, 27-Sikandara Road,
New Delhi.

Dated- Shimla-171002 7.10. 2021

Subject :- Regarding posting of Sh. Subhasish Panda, IAS.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that Sh. Subhasish Panda, IAS (HP:1997), Pr. Secretary (Public Works Department, Tourism & Civil Avaition) to the Government of Himachal Pradesh has been transferred and posted as Advisor (Infrastructure & Tourism) to the Government of Himachal Pradesh at New Delhi vide Personnel Department's letter No. 1-15/73-DP-Apptt(2021) Dated 7th October, 2021.

You are, therefore, requested to take up the matter with Director of Estate (TS-I), Ministry of Housing & Urban Affairs, Directorate of Estate, Government of India, Nirman Bahwan , New Delhi-110011 with the request to allot one house from the State Quota which is available in the Central Pool of GoI.

Yours faithfully,

(Surjeet Singh Rathore)
Joint Secretary (GAD) to the
Govt. of Himachal Pradesh

राज्यपाल ने अमृत काल में स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हर व्यक्ति अमृत काल का साक्षी बना है। हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में हमें किस दिशा में जाना है और राष्ट्र के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है। राज्यपाल बद्दी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान हमें अपने अतीत को भी याद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों सहित विदेशी आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति, परंपराओं और शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाया और हमारे पूर्वज उस समय आजादी के बारे में शायद सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि देश को आजाद करवाने के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी और ऐसे में हमें इस आजादी का महत्व समझने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने देश के बंटवारे की पीड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास में इस दुःखद घटना को याद रखने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि हमें उन सभी बलिदानियों को याद करना होगा, जिनके कारण हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल होकर हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर सकते हैं। यह अभियान किसी पार्टी या संगठन का नहीं बल्कि पूरे देश का है और इसी लिए हम सभी इस अभियान से जुड़े हैं। उन्होंने लोगों से अमृत काल में स्वदेशी अपनाने का भी आहवान किया।

राज्यपाल ने कंपनी के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को भी पुरस्कृत किया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारी सदस्य इंद्रेश कुमार ने आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित करने के लिए माइक्रोटेक कंपनी को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां दूसरों को भी राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने देश की स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े विभिन्न नारों और उस समय उनके महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान संदर्भ में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और हर घर तिरंगा जैसे नारे और अभियान भी राष्ट्रवाद से जुड़े हैं।

माइक्रोटेक के अध्यक्ष एवं सीआईआई हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता ने इस अवसर पर राज्यपाल को सम्मानित किया।

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर विधायक परमजीत सिंह पम्मी, पूर्व विधायक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय पदक के लिए चयनित होने पर ए.एस.पी. राठौर को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'नेशनल मैडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन' के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरवीर सिंह राठौर का चयन किए जाने पर बधाई दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के लिए नरवीर सिंह राठौर को इस प्रतिष्ठित पदक के लिए चुना गया है। जय राम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी इससे प्रेरणा लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करेंगे, ताकि हिमाचल प्रदेश पुलिस नई ऊंचाईयों को छू सके।

सेब में प्राकृतिक खेती पर बागवानों को किया जागरूक

शिमला/शैल। रोहड़ू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र शिमला में सेब में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया। मेला का आयोजन प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने प्राकृतिक खेती पर एक

प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्राकृतिक खेती से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न किसान संस्थाओं के सदस्यों ने केवीके में प्रदर्शनी में भाग लिया। विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ दिवेन्द्र गुप्ता ने स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. राम कृष्ण शर्मा, परियोजना निदेशक आत्मा शिमला ने जिले में प्राकृतिक खेती के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉ. एन एस कैथ, प्रधान वैज्ञानिक और केवीके शिमला के प्रभारी ने सेब में प्राकृतिक खेती के संभावनाएं और इसका उपयोग कृषि आय बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है, के बारे में बताया।

कृषि में महिलाओं और किसी भी नई सरकारी योजनाओं की सफलता में महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि यह नई कृषि प्रणाली केवल तभी अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकती है जब महिलाएं इसके कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएं। स्थानीय बीजों और उसके लाभों के महत्व पर प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि किसानों से अपने स्थानीय बीजों और फसलों को संरक्षित करने का आग्रह किया, जिनकी खेती पिछले कुछ दशकों में काफी कम हो गई है। उन्होंने विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से पारंपरिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया।

प्रोफेसर चंदेल ने कहा कि सेब की खेती की लागत, जो कि राज्य की एक प्रमुख नकदी फसल है, प्राकृतिक खेती को अपनाने से काफी कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करती है बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और कृषि के लिए पानी के उपयोग में कमी करके पर्यावरण संरक्षण में मददगार है।

इस अवसर पर प्राकृतिक खेती कर रहे कई किसानों ने अपने बगीचे में इस तकनीक को अपनाने के अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक खेती में लगे किसान समूहों को भी सम्मानित किया गया। डॉ. जेसी भारद्वाज, केवीके शिमला के पूर्व प्रभारी, डॉ. कुशल मेहता, एचडीओ डॉ. इबजनाई कुर्बाह, किसान मेले में कई किसान संस्थाओं के प्रतिनिधि और बागवानी और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। किसान मेला के बाद रोहड़ू ब्लॉक के गावना गांव में प्रगतिशील किसान संजीव झामटा के बगीचे का दौरा किया। उन्होंने उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के तहत 4000 से अधिक सेब के पौधे लगाए हैं और एक ब्लॉक को प्राकृतिक खेती में भी बदल दिया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

राज्यपाल ने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को मिठाइयां बांटी और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इनमें ऑर्चिड प्रेप स्कूल न्यू शिमला के अंतर्गत संचालित किए जा रहे 'आरुषि स्कूल ऑफ होप' के विशेष बच्चों की प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहीं। राजभवन में पहली बार विशेष रूप से आमंत्रित इन बच्चों ने 'इंसाफ की डगर' और 'हर घर तिरंगा' विषयों पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियों, फैंसी ड्रेस और नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला के बच्चों के समूह गान और इसी पाठशाला की छात्रा भामिनी बंसल के नृत्य ने भी खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत 'ऐ मेरे वतन' ने राजभवन के दरबार हॉल में उपस्थित लोगों को भावुक कर दिया। राज्यपाल भी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और उनकी आंखें भी नम हो गईं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश के लोगों और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों का स्मरण किया और शहीदों तथा बहादुर सैनिकों को नमन किया।

उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्षों में हमें किसी न किसी रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान देना होगा और स्वदेशी को अपनाकर देश के विकास को गति प्रदान करनी होगी। राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राजभवन में 'एट होम' का आयोजन

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'एट होम' की मेजबानी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद उपस्थित थे।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोग, बोर्ड तथा निगम के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी, शहर के प्रमुख नागरिक, पूर्व सैनिक और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।

'एट होम' में पहली बार ढली स्थित विशेष रूप से सक्षम बच्चों के स्कूल के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के 75 वर्षों की गौरवमयी विकास यात्रा को दर्शाता एक वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसे सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा तैयार किया गया है।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन पर लोगों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य के लोगों को रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बधाई दी है।

राज्यपाल ने कहा कि रक्षा सूत्र बांधने की सदियों पुरानी यह परम्परा भाई और बहन के बीच विशेष लगाव का प्रतीक है और यह पवित्र सूत्र उनके मध्य स्नेह एवं विश्वास का भी द्योतक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रक्षा बंधन न केवल भाईचारे की भावना प्रगाढ़ करेगा बल्कि समाज में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

जय राम ठाकुर ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के इस पावन पर्व का आध्यात्मिक एवं पौराणिक महत्त्व है। यह पर्व भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की अटूट डोर का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि आपसी स्नेह व परस्पर विश्वास का यह पर्व परिवार और समाज को भी एक सूत्र में बांधते हुए सामाजिक भाईचारे का भी संदेश देता है।

दूरदराज क्षेत्रों के लोगों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक वाहन सेवा

शिमला/शैल। 76वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री

मोबाइल क्लीनिक वाहन सेवा हिमाचल प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने सिरमौर के सराहां में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक वाहन सेवा के अंतर्गत 10 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लैब तकनीशियन और आवश्यक उपकरणों से युक्त यह मोबाइल क्लीनिक वाहन प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के गांवों में लोगों को घर-द्वार पर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेंगे। जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक वाहन सेवा आरंभ करने की घोषणा की गई थी। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर यह सेवा विधिवत रूप से आरंभ कर दी गई है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री मोबाइल क्लीनिक वाहन सेवा के इन चिकित्सा वाहनों में आधुनिक उपकरणों के साथ एक-एक डॉक्टर, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन तैनात रहेंगे। इन वाहनों में नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ रक्त जांच, ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य मानकों की जांच की सुविधा तथा अन्य सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इन वाहनों का संचालन खंड चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

एसजेवीएन कॉर्पोरेट कार्यालय में शिमला शहर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया

शिमला/शैल। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसजेवीएन नंद लाल शर्मा ने शिमला के शानन में स्थित एसजेवीएन कॉर्पोरेट मुख्यालय में 100

फीट ऊंचे मोटराइज्ड फ्लैग पोल पर 20 फीट X 30 फीट राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नंद लाल शर्मा ने अवगत करवाया कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत फहराया गया।

यह राष्ट्रीय ध्वज, हिमाचल प्रदेश राज्य के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय झंडों में से एक है। शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढल्ली बाईपास से यह राष्ट्रीय ध्वज दूर से झंडा दिखाई देता है। हर घर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य लोगों को राष्ट्रीय ध्वज को घर लाने और स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर गीता कपूर, निदेशक (कार्मिक), श्री.ए.के. सिंह, निदेशक (वित्त) और एसजेवीएन के कर्मचारी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपस्थित प्रत्येक कर्मचारी ने देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज लहराया तथा राष्ट्रगान गाया।

हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए, भारत भर में विभिन्न स्थानों पर तैनात सभी एसजेवीएन कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए खरीदा है। कर्मचारियों से harghartirang.com पर एक सेल्फी जमा करने और इस पहल का हिस्सा बनने का भी आग्रह किया गया है।

प्रत्येक एसजेवीनाइट को राष्ट्र निर्माण का हिस्सा होने पर गर्व है और वर्ष 2030 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट कंपनी बनने के साझा विज़न को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य मंत्री ने जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज के 5वें चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे जनभागीदारी से सुशासन-हिमाचल का महाक्विज के 5वें चरण के समापन समारोह की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व आयुष मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने की। 28 जून से 12 जुलाई, 2022 तक आयोजित किए गए महाक्विज का पांचवा चरण स्वस्थ हिमाचल-समृद्ध हिमाचल विषय पर आधारित था।

इस अवसर पर डॉ. राजीव सैजल ने लोगों से सुशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में जन कल्याण की दिशा में नया दौर आरम्भ हुआ है। उन्होंने कहा कि पांचवें चरण में 8568 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस चरण में 2308 प्रतिभागियों ने अंग्रेजी और 6260 प्रतिभागियों ने हिंदी भाषा में प्रश्नों के उत्तर दिए। 11 मई, 2022 को आरंभ हुए इस महाक्विज में अब तक 71455 प्रतिभागी हिस्सा ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि पांचवें चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 235 प्रतिभागियों को एक-एक हजार रुपये इनाम राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हिमकेयर योजना में प्रदेश में 6.18 लाख परिवार पंजीकृत हैं। इस योजना के अन्तर्गत 285.35 करोड़ रुपये व्यय कर 3.08 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री सहारा योजना के अन्तर्गत लगभग 20,000 लाभार्थियों को लगभग 80 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने पांचवें चरण के विजेताओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से इनाम राशि प्रदान की तथा समारोह में उपस्थित विजेताओं को इनाम राशि के चेक भेंट किए। उन्होंने महाक्विज के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक हेम राज बैरवा ने महाक्विज के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। ि

नदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. अनीता महाजन ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

जनभागीदारी से सुशासन हिमाचल का महाक्विज के कुल 8 चरणों में से 5 चरण पूर्ण हो चुके हैं। इच्छुक व्यक्ति शेष तीन चरणों में भाग लेकर इनामी राशि जीत सकते हैं। इसके लिए उन्हें माईगव हिमाचल पोर्टल (MyGov Himachal) पर पंजीकरण करवाना होगा। यह पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क है। प्रत्येक चरण में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर आधारित 10 सवाल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब दो मिनट 30 सेकंड में देना होगा। इसके बाद महाक्विज का पेज बंद हो जाता है।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैदियों को विशेष मुआफी की घोषणा

शिमला/शैल। पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 अगस्त, 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बन्दियों के अच्छे आचरण एवं व्यवहार पर प्रदेश की विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे कैदियों को विशेष मुआफी की घोषणा की है।

उन्होंने बताया कि आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कैदियों को सम्मिलित करते हुए ऐसे कैदियों को जिन्होंने 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, को 3 महीने, पांच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 2 महीने, तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 45 दिन, एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 30 दिन तथा तीन मास से अधिक और एक वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी को 15 दिन की विशेष मुआफी की घोषणा की है।

प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा दी गई मुआफी से प्रदेश की विभिन्न कारागारों में बन्द 363 सजायाफता बन्दी लाभान्वित होंगे, जिसमें 1 बन्दी सजा पूरी होने के उपरान्त 15 अगस्त, 2022 को जेल से रिहा हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव को कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। समारोह के हिस्से के रूप में कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और उन्हें तीन चरणों-15 अगस्त 2022, 26 जनवरी, 2023 और पुनः 15 अगस्त, 2023 को रिहा करने का प्रस्ताव है।

प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में जिन पात्र बन्दियों ने अपनी 66 प्रतिशत सजा पूर्ण कर ली है उसमें से चार बन्दियों को रिहा किया जा रहा है। एक बन्दी जिसने अपनी कारावास की सजा पूर्ण ली है लेकिन वह अपनी जुर्माना राशि देने में असमर्थ है, उस बन्दी को भी रिहा किया जा रहा है। इस मुआफी से प्रदेश के विभिन्न कारागारों से प्रथम चरण में कुल पांच बन्दियों को छोड़ा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सजा माफी की योजना का उद्देश्य कैदियों में कारावास के दौरान अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना है व प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावना का अवसर प्रदान करना है। इससे उन्हें अपराध के जीवन को छोड़ने और देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध :सरवीण चौधरी

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं और इससे इंसान मानसिक और शरीर रूप में स्वस्थ रहता है। उन्होंने कहा कि खेलों से जहाँ छात्र नशे इत्यादि से दूर रहते हैं वहीं अनुशासन की भावना आती है। उन्होंने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिये वचनबद्ध है वहीं खेल अधोसंरचना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यह उदगार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी ने शाहपुर विधानसभा के अन्तर्गत जी एस एस स्कूल दुर्गेला में तीन दिवसीय अंडर -19 टूर्नामेंट प्रतियोगिता के (ज़ोन रैत) समापन समारोह के उपरांत खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए और साथ ही विजेता खिलाड़ियों को समानित किया। तीन दिनों तक आयोजित इस टूर्नामेंट प्रतियोगिता में 21 स्कूलों में से 19 सीनियर सेकेंडरी स्कूल व 3 हाई स्कूल के कुल 319 खिलाड़ियों ने भाग लिया।

सरवीण चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री

खेल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है जिसमें 10 लाख रुपए से खेल मैदान का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 लाख की लागत से मैदान निर्माण के लिये 10 करोड़ 32 लाख रुपये व्यय गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न खेल गतिविधियों के आयोजन और खेलों को बढ़ावा देने के लिए 7 करोड़ 39 लाख रुपये जारी किये गए हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागो में रोजगार प्रदान करने हेतु 3 प्रतिशत खेल कोटा निर्धारित किया गया है जिसके तहत 220 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों बोर्ड अथवा निगमों में रोजगार प्रदान किया गया।

जब मैंने ईश्वर से मस्तिष्क और पुष्ट शरीर माँगा, तो उसने मुझे जीवन में बहुत पहेलियाँ हल करने के लिए प्रेरित किया। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

आजादी की स्वर्ण जयन्ती–कुछ बिन्दु...

देश को आजाद हुए पचहत्तर वर्ष हो गये हैं इसलिए इसे स्वर्ण जयन्ती कहा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ इसे अमृत काल की संज्ञा भी दी जा रही है। समय के गणित से तो यह अवसर स्वर्ण जयन्ती बन जाता है लेकिन इसे अमृत काल क्यों कहा जा रहा है यह समझना कुछ कठिन हो रहा है। इसलिये इस कालखण्ड पर एक मोटी नजर डालना अवश्यक हो जाता है। देश को आजादी अंग्रेजों के तीन सौ वर्ष के शासनकाल से 1947 में मिली। अंग्रेज व्यापारी बनकर देश में आये और शासक बन कर गये। व्यापारी से शासक बन जाना अपने में ही बहुत कुछ कह जाता है। इससे यह भी समझ आता है कि व्यापारी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तीन सौ से अधिक रियासतों में बंटे देश में एक व्यापारी कैसे शासक होने तक पहुंच गया यह अपने में ही एक बड़ा सवाल बन जाता है। इसी सवाल के परिपेक्ष में अंग्रेज के शासन का ''मूल मन्त्र फूट डालो और राज करो'' इस मन्त्र को समझने और इसका विश्लेषण करने पर बाध्य कर देता है। करोड़ों की जनसंख्या और सैकड़ों राजाओं वाले देश में एक व्यापारी तीन सौ वर्ष तक राज कर जाये यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि संख्या बल के रूप में तो अंग्रेज बहुत ही नगण्य थे। फिर उन्होंने किसमें फूट डाली। स्वभाविक है कि इस फुट का आधार यहीं के लोगों को बनाया गया। एक राजा को दूसरे से श्रेष्ठ बताया गया। एक धर्म और जाति को दूसरे धर्म और जाति से श्रेष्ठ बताया गया। इसी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिये सब में आपसी वैमनस्य बढ़ता चला गया। इसके सैकड़ों प्रमाण इन तीन सौ वर्षो के इतिहास में उपलब्ध है। इस श्रेष्ठता के अहंकार को सामान्य करने में भी बहुत लोगों का बहुत समय लगा है और इसके भी सैकड़ों प्रमाण उपलब्ध है। अंग्रेजी शासन का तीन सौ वर्ष का इतिहास इस तथ्य से भरा पड़ा है कि जाति–धर्म और भाषा की श्रेष्ठता की होड़ समाज में ऐसी दूरियां खड़ी कर देती हैं जिन्हें पारना आसान नहीं होता है। इसी तीन सौ वर्ष के इतिहास में यह भी मौजूद है कि जब अंग्रेज को यह लगने लगा कि यह जाति, धर्म और भाषा की श्रेष्ठता का हथियार ज्यादा देर तक नहीं चल पायेगा तब उसने इन्हीं आधारों पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को उभार दिया और राजनीतिक संगठन खड़े करवा दिये। इन संगठनों ने आजादी की लड़ाई के बीच ही अपने लिये अलग–अलग राज्यों की मांग तक कर डाली कुछ संगठनों के कार्यकर्ता तो यहां तक चले गये कि वह स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध अंग्रेज के मुखबिर तक बन गये। देश का विभाजन इसी सब का परिणाम है। धार्मिक श्रेष्ठता और उससे उपजी राजनीतिक महत्वकांक्षा ने मिलकर पाकिस्तान का सृजन किया है। इस परिदृश्य में आजाद हुये देश की नई सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ था। नया संविधान बनाया जाना था। रियासतों को देश में मिलाना था। बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधर्मी देश में यह सब आसान नहीं था। क्योंकि देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिये इस बहुविधता को सामने रखते हुये देश और सरकार को धर्मनिरपेक्ष रखा गया। संविधान सभा में बहुमत से यह फैसला लिया गया था। इसके बाद देश के विकास की ओर कदम बढ़ाया गया। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अति पिछड़ा था इसे मुख्यधारा में लाने के लिये उसकी पहचान करने और उपाय सुलझाने के लिये काका कालेलकर की अध्यक्षता ने एक कमेटी बनाई गयी जिसने आरक्षण का सुझाव दिया। इसी के साथ भू–सुधारों का मुद्दा आया। बड़ी जमीदारी प्रथा को खत्म करने के लिये कानून बने। फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिये कदम उठाये गये। संसद में कानून बनाया गया। जब यह सारे उपाय किये जा रहे थे तभी एक वर्ग इसका विरोध करने पर आ गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बड़े बहुमत से बनी सरकार के मुखिया के चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी। चुनाव रद्द हो गया और देश में आपातकाल की नौबत आ गयी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ऐतिहासिक बहुमत से बनी। लेकिन 1980 में यह सरकार दोहरी सदस्यता के नाम पर टूट गयी। जिस दोहरी सदस्यता के कारण सरकार टूटी उसका खुला रूप मण्डल बनाम कमण्डल आंदोलन में सामने आया। आज यही रूप डॉ. मोहन भागवत के नाम से कथित रूप से लिखे गये संविधान के वायरल रूप में सामने आया है। लेकिन सरकार से लेकर संघ तक किसी ने भी इसका खण्डन नहीं किया है। सारे आर्थिक संसाधन योजनाबद्ध तरीके से प्राइवेट सेक्टर के हवाले किये जा रहे हैं। बैंक पुन: निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी है। आम आदमी आज भी बीमारी का इलाज ताली थाली बजाने में ही ढूंड रहा है। नई शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही कह दिया गया है कि हमारे बच्चे खाड़ी के देशों में बतौर हेल्पर समायोजित हो जायेंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। सतारुढ़ दल कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बाद सारे क्षेत्रीय छोटे दलों के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी का चुका है। लेकिन इस सब के बाद भी यह काल अमृत काल कहा जा रहा है और हम स्वीकार कर रहे हैं। पाठको और देशवासियों को स्वर्ण जयन्ती और अमृत काल की शुभकामनाओं के साथ यह आग्रह रहेगा कि इन बिन्दुओं पर कुछ चिन्तन करने का प्रयास अवश्य करें।

उत्पीड़न की मनगढ़ंत अवधारणा से भारत को बदनाम करने की कोशिश

गौतम चौधरी

संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन ने 2021 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट (आईआरएफ) जारी करते हुए टिप्पणी कहा कि ''भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है''। ब्लिंकन ने स्वीकार किया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विभिन्न प्रकार की आस्थाओं का घर है, लेकिन साथ ही यह कह कर भारत पर दोष मढ़ा कि हमने भारत में लोगों और पूजा स्थलों पर बढ़ते हमले देखे हैं। ब्लिंकन ने आईआरएफ 2021 रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। इसकी पड़ताल जरूरी है। भारत अपनी विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। अमेरिका लंबे समय से भारत का मित्र और रणनीतिक साझेदार है। यदि अमेरिका के विदेश मंत्री कुछ कहते हैं तो उसका विश्वव्यापी महत्व हो जाता है। कुछ रिपोर्ट के आधार पर भारत में धार्मिक सहिष्णुता पर यदि वे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका आलोचनात्मक विश्लेषण की जरूरत हो जाता है।

आईआरएफ रिपोर्ट में 84 वर्षीय जेसुइट लिबरेशन थिओलॉजी के समर्थक फादर स्टेन स्वामी की मृत्यु पर प्रकाश डाला गया है, ताकि यह साबित हो सके कि भारत की सरकार ने सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों का दमन किया था। तो यहां बता दें कि स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी भूमिका के लिए यूएपीए के तहत राष्ट्रीय जांच अभिकरण (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। आईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि स्वामी की न्यायिक हिरासत में मृत्यु हुई, बावजूद इसके कि उनके स्वास्थ्य के बारे में बार–बार चिंता व्यक्त की गई थी। इस रिपोर्ट में (जाने–अनजाने) कुछ महत्वपूर्ण तथ्यात्मक त्रुटि है। उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय के आदेश पर, तालुजा जेल के अधिकारी स्वामी को कोविड परीक्षण के लिए और अन्य आयु संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए सर जेजे अस्पताल ले गए। स्वामी ने ही न्यायमूर्ति, एस जे कथावाला से कहा था कि वह जेजे अस्पताल में भर्ती होने के बजाय जेल में मरना पसंद करेंगे। कुछ दिनों बाद, स्वामी को होली फैमिली अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमे उन्हें सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराए गए।

आइए अब हम यह जानते हैं कि एनआईए के द्वारा पकड़े गए फादर की पृष्ठभूमि क्या है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, स्वामी एक सीपीआई (माओवादी) कैडर थे और उनसे धन प्राप्त करते थे। वह सीपीआई (माओवादी) के लिए एक फ्रंटल संगठन– सताए गए कैदी सॉलिडेरिटी कमेटी के संयोजक भी थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक सीपीआई (माओवादी) के कार्यकर्ताओं द्वारा सैकड़ों सुरक्षा बलों और नागरिकों को बेवजह मारा गया है। इसके अलावा, एनआईए द्वारा छापेमारी के दौरान उसके पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज, साहित्य और प्रचार सामग्री बरामद की गई थी। यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या देश और अपने समाज की सुरक्षा करना आलोचनात्मक आवाज को दबाना है?

दूसरा वाकया भी है। तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज की गिरफ्तारी और मुकदमे का हवाला आईआरएफ रिपोर्ट द्वारा भारत में धार्मिक उत्पीड़न की अपनी बात को साबित करने के लिए दिया गया है। रिपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल रही है कि खुर्रम को अन्य लोगों के साथ आतंकवादी फंडिंग और आतंकवाद के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख नहीं है कि एक आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी (पहले एनआईए के साथ तैनात) को भी एनआईए ने खुर्रम और अन्य आरोपियों के साथ भारत में खूंखार आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा (एलईटी) के ओवर ग्राउंड नेटवर्क का हिस्सा होने के लिए गिरफ्तार किया था। यहां भी वही प्रश्न खड़ा है।

तीसरा वाकया। यह एक खुला रहस्य है कि पिछले साल की त्रिपुरा हिंसा से संबंधित सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें प्रसारित की गई। त्रिपुरा पुलिस ने 68 ट्विटर अकाउंट, 31 फेसबुक अकाउंट और 2 यूट्यूब चैनलों को कथित त्रिपुरा हिंसा के बारे में फर्जी खबरें प्रसारित करते हुए पाया। आईआरएफ रिपोर्ट ने त्रिपुरा में यूएपीए के तहत मामले दर्ज करने का उल्लेख किया था, लेकिन फिर से इस तथ्य का उल्लेख करने में विफल रहा कि एक अन्य गैर–भाजपा शासित राज्य महाराष्ट्र ने त्रिपुरा हिंसा से संबंधित सोशल मीडिया पर नकली संदेश साझा करने वाले 36 सोशल मीडिया पोस्ट पाए थे। इन फर्जी संदेशों ने न केवल त्रिपुरा में बल्कि पूरे देश में कानून–व्यवस्था की स्थिति खराब कर दी। अब, अगर पुलिस ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो यह भारत में धार्मिक उत्पीड़न का मामला कैसे हो सकता है?

जम्मू और कश्मीर में यूएपीए के उपयोग को आईआरएफ रिपोर्ट में उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जम्मू–कश्मीर प्रशासन द्वारा राज्य में एकतरफा कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यह यह हिंदू बहुल राष्ट्र में मुस्लिम बहुल केंद्र शासित प्रदेश है। यहां भी आईआरएफ कुछ तथ्यों को बुरी तरह छुपा लिया है। इस रिपोर्ट में इस बात की कहीं चर्चा तक नहीं की गयी है कि जम्मू–कश्मीर में पिछले 3 दशकों से अधिक समय से आतंकवाद के गंदे खेल खेले जा रहे हैं। हाल की सरकारी रिपोर्ट पर ध्यान दें तो विगत दो महीनों में जम्मू–कश्मीर के अंदर कम से कम 25 हिन्दुओं की टारगेटेड हत्या की गयी है। कई सुरक्षा बल के जवान मारे गए और कई आतंकवाद विरोधी कश्मीरियों की हत्या कर दी गयी। इन नई हत्याओं के कारण सैकड़ों कश्मीरी पंडित एक बार फिर से घाटी छोड़ गए। कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं के बारे में बहुत सारी सामग्री नेट पर उपलब्ध है, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि आईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में केवल एक पक्ष का ख्याल रखा।

अपने आरोपों को सही ठहराने के लिए, आईआरएफ रिपोर्ट ने मिशनरीज ऑफ चौरिटी जैसे धार्मिक संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने का हवाला दिया। बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि एमओसी पर पूर्वाग्रह से कार्रवाई की गयी है। दरअसल, भारत सरकार ने करीब 6000 गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द की है। आईआरएफ रिपोर्ट ने एमओसी मामले को चयनात्मक लक्ष्यीकरण के रूप में प्रस्तुत किया है लेकिन तथ्य कुछ और है। इस मामले में भारत सरकार के विभिन्न सुरक्षात्मक अभिकरणों ने कई संगठनों के बारे में जानकारियां उपलब्ध की और जिन संगठनों को सही पाया उन्हें फिर से एफसीआरए जारी कर दिया। एमओसी का भी एफसीआरए लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया गया है। बता दें कि एमओसी के लोगों के बारे में सरकार की जांच एजेंसियों के पास नकारात्मक तथ्य भी सामने आए बावजूद इसके सरकार ने लाइसेंस नवीनीकृत कर दिया। इससे पता चलता है कि अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई का धर्म से कोई लेना–देना नहीं था, बल्कि यह तकनीकी पहलुओं पर आधारित था। पड़ोसी पाकिस्तान या फिर चीन में एक धर्म आधारित (गैर–मुस्लिम) संगठन के लिए भी इसी तरह की कार्रवाई की कल्पना नहीं की जा सकती है।

धर्मांतरण विरोधी कानूनों के संबंध में, जबरन धर्म परिवर्तन मामले में उमर गौतम की गिरफ्तारी ने प्रलोभन या दबाव के माध्यम से अवैध धर्मांतरण की सीमा का खुलासा किया। अनुच्छेद 25 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अपने स्वयं के धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति का धर्म परिवर्तन और वह भी प्रलोभन और दबाव में, निश्चित रूप से नैतिकता के मानदंड के खिलाफ है। सभी धर्म परिवर्तन कानून संबंधित राज्यों में अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाते हैं। ये कानून केंद्रीय कानून नहीं हैं और संबंधित राज्यों द्वारा तैयार किए गए हैं। कानूनी रूप से धर्म परिवर्तन करने वालों को ऐसे कानूनों से डरने की कोई बात नहीं है। आईआरएफ ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रिपोर्टिंग करते समय इन तथ्यों को छोड़ दिया है।

यूएससीआईआरएफ ने भारत को विशेष चिंता का देश (सीपीसी) बनाने की सिफारिश की। बता दें कि इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल (आईएसएमसी) के संस्थापक शेख उबैद ने अंगना चटर्जी के साथ गठबंधन की स्थापना की, जो बदले में यूएससीआईआरएफ कमिश्नर नादिन मेंजा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आईएएमसी ने भारत को सीपीसी घोषित करने के लिए यूएससीआईआरएफ को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग फर्म फिदेलिस गवर्नमेंट रिलेशंस को काम पर रखा है। आईएएमसी ने भारतीय मुद्दों जैसे हिजाब, समान नागरिक संहिता आदि पर कई वेबिनार आयोजित किए हैं और यूएससीआईआरएफ आयुक्त नादिन मेंजा इस तरह के आयोजनों में एक नियमित भागीदार रही हैं। आईएएमसी ने उत्तरी अमेरिका के इस्लामिक सर्किल (आईसीएनए) के साथ संबंध साबित कर दिए हैं, जो लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन (सभी पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन) और सिमी (भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन) से जुड़ा है। यह भारत पर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट की तटस्थता पर प्रश्नचिह्न लगाता है। ब्लिंकन जैसे समझदार कूटनीतिकों को ऐसे हल्के बयान से बचना चाहिए। इस प्रकार के बयान न केवल भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों को नए सिरे से प्रभावित कर सकते हैं अपितु दुनिया भर में फैले इस्लाम के नाम पर बनाए गए खतरनाक नेटवर्क को भी बल प्रदान करेगा, जिससे खुद अमेरिका सहित पश्चिम के कई देश बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

76 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातें

आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं।

मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले सभी लोगों के योगदान का स्मरण करने का अवसर है।

75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार-चढ़ाव से भरी हुई है। सुख-दुःख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां हासिल की हैं, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है।

भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है। शक्ति का एक अटूट प्रमाण है। दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक inherent सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, Mother of Democracy है।

2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों को गौरवगान करने का अवसर मिला।

महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की जो आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया है।

अमृतकाल का पहला प्रभात Aspirational Society की आकांक्षा को पूरा करने का सुनहरा अवसर है। हमारे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। विश्व के हर कोने में हमारा तिरंगा आन-बान-शान के साथ लहरा रहा है।

सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है और मुझे विश्वास है चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हों, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इस aspiration society को address करना पड़ेगा, उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते।

हमने पिछले दिनों जिस ताकत का अनुभव किया है और वो है भारत में सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण। आजादी के इतने संघर्ष में जो अमृत था, वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है।

दुनिया कोरोना के काल खंड में वैक्सिन लेना या न लेना, वैक्सिन काम की है या नहीं है, उस उलझन में जी रही थी। उस समय मेरा गरीब देश ने दो सौ करोड़ डोज का लक्ष्य हासिल करके दुनिया को चौंका देने वाला काम कर दिखाया है।

विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है। अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। विश्व का यह बदलाव, विश्व की सोच में यह परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है।

जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हम सबका साथ, सबका विकास का मंत्र लेकर चलें थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबके प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं।

मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें पंच प्रण पर अपनी शक्ति केंद्रित करनी होगा। जब मैं पंचप्रण की बात करता हूं तो पहला प्रण है कि अब देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा। दूसरा प्रण है हमें अपने मन के भीतर, आदतों के भीतर गुलामी का कोई अंश बचने नहीं देना है। तीसरी प्रण, हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्रण है एकता और एकजुटता। और पांचवां प्रण है नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता।

महासंकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, developed country होगा, विकास के हरेक पैरामीटर में हम मानवकेंद्री व्यवस्था को विकसित करेंगे, हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र के मानव की आशा-आकांक्षाएं होंगी। हम जानते हैं, भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है।

जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा है, जिससे जहां हो सका, स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया है।

हमने जब तय किया था, 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेडिंग का लक्ष्य, तो यह सपना बड़ा लगता था। पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया है।

ढाई करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना, छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखवाया।

क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए।

जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी है, रसकस हमारी धरती के मिले हैं। हमने जो कौशलय पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है, जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा।

हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। हमें भाषा आती हो या न आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये भाषा है, हमें गर्व होना चाहिए।

आज दुनिया holistic health care की चर्चा कर रही है लेकिन जब holistic health care की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत के holistic lifestyle पर जाती है। ये हमारी विरासत है जो हम दुनिया का दे रहे हैं।

आज विश्व पर्यावरण की समस्या से जो जूझ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हमारे पास है। इसके लिए हमारे पास वो विरासत है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है।

हमारे family values, विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है। व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है, तो लोगों को योग दिखता है। सामूहिक तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है।

हम वो लोग हैं, जो जीव में शिव देखते हैं, हम वो लोग हैं, जो नर में नारायण देखते हैं, हम वो लोग हैं, जो नारी को नारायणी कहते हैं, हम वो लोग हैं, जो पौधे में परमात्मा देखते हैं, हम वो लोग हैं, जो नदी को मां मानते हैं, हम वो लोग हैं, जो कंकड़-कंकड़ में शंकर देखते हैं।

जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं, तब कहते हैं-सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया:।

एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। इतने बड़े देश को उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है, इतने पंथ और परंपराएं यह हमारी आन-बान-शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर हैं। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं सब अपने हैं।

अगर बेटा-बेटी एकसमान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गुथ सकते हैं। जेंडर इक्वैलिटी हमारी एकता में पहली शर्त है।

जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे यहां एक ही पैरामीटर हो एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहे इंडिया फर्स्ट मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ इंडिया फर्स्ट के अनुकुल है।

क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूँ और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूँ।

हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। चाहे पुलिस हो, या पीपुल हो, शासक हो या प्रशासक हो, यह नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

आत्मनिर्भर भारत, यह हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर ईकाई का यह दायित्व बन जाता है। यह आत्मनिर्भर भारत यह सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। यह समाज का जन आंदोलन है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है।

आप देखिए पीएलआई स्कीम, एक लाख करोड़ रुपया, दुनिया के लोग हिन्दुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं। रोजगार के नये अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्यूफैक्चिरिंग हब बनता जा रहा है।

आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज़ सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार Made In India तोप ने किया है। कौन हिन्दुस्तानी होगा, जिसको यह आवाज़ उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी।

देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने सेना नायकों ने जिस जिम्मेदारी के साथ कंधे पर उठाया है। मैं उनको जितनी salute करूं, उतनी कम है!

हमें आत्मनिर्भर बनना है, एनर्जी सेक्टर में। सोलर क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हों, मिशन हाइड्रोजन हो, बायो फ्यूल की कोशिश हो, electric vehicle पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बनकर के इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा।

मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आहवान करता हूं आइए... हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का ये भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताए हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं रहेगा। हमारे लघू उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, 'जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट' हमें करके दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा।

हमारा प्रयास है कि देश के युवाओं को असीम अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक रिसर्च के लिए भरपूर मदद मिले। इसलिए हम स्पेस मिशन का, Deep Ocean Mission का विस्तार कर रहे हैं। स्पेस और समंदर की गहराई में ही हमारे भविष्य के लिए जरूरी समाधान है।

हम बार-बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं, जय जवान-जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान-जय किसान-जय विज्ञान-जय अनुसंधान-इनोवेशन।

इनोवेशन की ताकत देखिए, आज हमारा यूपीआई-भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40 पर्सेंट अगर डिजिटली फाइनेशियल का ट्रांजेक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है, हिन्दुस्तान ने ये करके दिखवाया है।

आज मुझे खुशी है हिन्दुस्तान के चार लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे-बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं।

ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, 5G की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान है, ऐसा नहीं है। तीन बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित हैं। शिक्षा में आमूल-चूल क्रांति- ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूल-चूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। किसी जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है।

हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे incubation centre, हमारे स्टार्टअप एक नया, पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर ले करके आ रहे हैं।

हमारे छोटे किसान-उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी-उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्मम उद्योग, रेहड़ी-पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बस सेवाएं देने वाले लोग, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है।

नारी शक्ति : हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेल-कूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। उनका भारत की 75 साल की यात्रा में जो योगदान रहा है, उसमें मैं अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में नारीशक्ति का देख रहा हूं।

भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमें federal structure दिया है। आज समय की मांग है कि हमें cooperative federalism के साथ-साथ cooperative competitive federalism की जरूरत है, हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है।

देश के सामने दो बड़ी चुनौतियां: पहली चुनौती -भ्रष्टाचार दूसरी चुनौती-भाई-भतीजावाद, परिवारवाद।

भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है, उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं।

जब मैं भाई-भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं, तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है।

मेरे देश के नौजवानों मैं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए मैं भाई-भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं।

इस अमृतकाल में, हमें आने वाले 25 साल में, एक पल भी भूलना नहीं है। एक-एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण, मातृभूमि के लिए जीना और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रंद्धाजलि होगी।

आजादी का अमृत महोत्सव, अब अमृतकाल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है, तब इस अमृतकाल में सबका प्रयास अनिवार्य है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ाने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़कर के सारे सपनों को साकार करेगी। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए

जय हिन्द।

राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर–प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर-प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने को मंजूरी प्रदान की गई। इन वेलनेस सेंटरों के

लिए स्टाफ नर्सों के 152 पदों और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पदों को सृजित कर अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिला की पूह तहसील में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए स्पिलो में पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में बिलासपुर जिला की सदर तहसील के शिकरोहा में पटवार वृत्त सृजित करने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला की चच्योट तहसील के अंतर्गत केलोधार में कानूनगो वृत्त सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में लोक निर्माण विभाग के दो नये अनुभाग (सिविल एवं विद्युत) सृजित करने एवं इनमें आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया।

बैठक में राज्य निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के दस पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली तथा सोलध में विज्ञान की कक्षाएं (नॉन मेडिकल) आरम्भ करने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमनी तथा त्रिलोकपुर में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोशाल, जगतसुख और नाथन में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और प्रवक्ताओं के सात पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में ऊना जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कध में वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने और तीन पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में कुल्लू जिला के नागरिक अस्पताल बंजार को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ इस अस्पताल के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों को सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मण्डी जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र पुराना बाजार तहसील सुन्दरनगर को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी करने का निर्णय लिया।

बैठक में कांगड़ा जिला के प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड पालमपुर, नगरोटा बगवां और भवारना को विभाजित कर क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए धीरा में नया प्रारम्भिक शिक्षा खण्ड खोलने को अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में कांगड़ा जिला के डाडासिबा में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने सोलन जिला के पट्टा में नया विकास खण्ड कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को वर्ष 2021-22 में 87 करोड़ रुपये का मुनाफा

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक (केसीसीबी) को घाटे से उबर कर मुनाफे में आने के अभूतपूर्व बदलाव पर बधाई दी है। महज चार साल में लगभग 46 करोड़ रुपये का घाटा उठाने वाले बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में 87 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। मंत्री ने इस बात पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की कि यह इस बैंक द्वारा अर्जित किया गया अब तक का सर्वाधिक मुनाफा है।

ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि सरकार सहयोग की भावना को 'आजादी का अमृतकाल' की भावना के साथ मिलाने के अपने प्रयासों में अडिग है। मंत्री ने स्मरण करते हुए यह उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सहकारी समितियां बाजार में प्रतिस्पर्धी बन जाएं एवं उन्हें समान अवसर मिले और सहकारी समितियों पर लागू करों में कमी उसी लक्ष्य की ओर एक अहम कदम है। बैंक की उल्लेखनीय उपलब्धि 'सहकारिता से समृद्धि' के मूल मंत्र को आगे बढ़ाएगी।

मंत्री ने पिछले चार वर्षों में इस बैंक के शानदार विकास की सराहना की और कहा कि बैंक ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत ग्राहकों के नामांकन में व्यापक वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने इस बैंक के सभी 1,400 कर्मचारियों को बधाई दी, जिनके द्वारा बैंक के 17 लाख से अधिक ग्राहकों के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने से पिछले चार वर्षों में 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

केसीसीबी को वर्ष 1920 में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था और उसी वर्ष मार्च महीने में उसका परिचालन शुरू हो गया था। वर्तमान में इस बैंक की 26 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय धर्मशाला में है। पिछले चार वर्षों के दौरान इस बैंक ने विभिन्न संकेतकों में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। बैंक के निवेश में 2324 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जबकि आरक्षित निधि में 26 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ बढ़कर 87.53 करोड़ रुपये हो गया है, जो कि 31 मार्च 2018 को 4.55 करोड़ रुपये था।

मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा-शान तिरंगा थीम सांग जारी किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने विधानसभा परिसर में 13

से 15 अगस्त 2022 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ऑरकेस्ट्रा 'हॉरमनी ऑफ पाइन्स' द्वारा रचित और स्वरबद्ध किए गए थीम गीत 'हर घर तिरंगा-शान तिरंगा' का फाइनल ट्रैक लांच किया।

इस अवसर पर 'हॉरमनी ऑफ पाइन्स' के प्रयासों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑरकेस्ट्रा की यह नई रचना उत्कृष्ट और बहुत ही भावपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि पुलिस ऑरकेस्ट्रा के प्रतिभाशाली एवं उम्दा कलाकारों द्वारा रचित यह गीत लोगों के मन में देश भक्ति का भाव जागृत करेगा।

मुख्यमंत्री ने ऑरकेस्ट्रा के सदस्यों के उत्साहवर्द्धन एवं उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को भी बधाई दी। इस मौके पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अन्य पुलिस अधिकारी तथा हॉरमनी ऑफ पाइन्स के सदस्य विजय भी उपस्थित थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 24008 मामलों का निपटारा किया गया

शिमला/शैल। प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में 13 अगस्त, 2022 को माननीय न्यायमूर्ति अमजद ए. सईद, मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मुख्य संरक्षक, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय न्यायमूर्ति सबीना, न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष मामलों की प्रभावी पहचान और निपटान पर जोर देने के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा इस पर जोर दिया गया। सभी न्यायिक अधिकारियों को पुराने मामलों की पहचान, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, वैवाहिक मामलों, बीमा मामलों, श्रम न्यायालय मामलों, आपराधिक कंपाउंडेबल मामलों आदि पर विशेष जोर देने के लिए भी प्रेरित किया गया।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार मामलों की पहचान और निपटान के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाया गया जिसमे 10 लाख तक के धारा 138 नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट, पारिवारिक मामले, छोटे अपराध और पुराने और संक्रामक मामले तथा विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान व आपराधिक समझौतों को पूर्व-मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए।

इस बार न केवल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया बल्कि इसे पूरे राज्य में उत्सव की भावना से मनाया गया। इस संबंध में स्थानीय निकायों, पुलिस, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों, हितधारकों, पीआरआई, पीएलवी, आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं आदि के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जन-जागरूकता के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया। आईईसी सामग्री (50000 से अधिक संख्या में पम्फलेट्स) वितरित किए गए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक प्रचार किया गया, ताकि अधिक से अधिक मामलों की पहचान की जा सके।

कुल मिलाकर राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष में निपटारे के लिए विभिन्न पीठों के समक्ष 48354 मामले उठाए गए, जिनमें से लगभग 24008 मामलों का निपटारा/ निपटान किया गया और लगभग 69,32,30,645/- की राशि राष्ट्रीय लोक अदालत में दावेदारों को वसूल/ पुरस्कार दिया गया।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड संख्या में मामलों का निपटारा किया गया, जोकि साल 2015 के बाद से सबसे ज्यादा है।

अगली राष्ट्रीय लोक अदालत 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित की जाएगी। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देशानुसार आने वाले समय में मोटर वाहन चालान तथा नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स मामलों के लिए विशेष लोक अदालतें आयोजित की जायेंगी।

मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने उपराष्ट्रपति की शपथ लेने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी है।

उपराष्ट्रपति को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदीप धनखड़ के लंबे अनुभव का देश को बहुत लाभ होगा और संसद के उच्च सदन के सभापति के रूप में उनकी भूमिका नए कीर्तिमान स्थापित करेगी।

शैक्षणिक सत्र 2022-23 छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 31 अक्तूबर तक

शिमला/शैल। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों तथा अन्य पात्र विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 31 अक्तूबर 2022 तक पंजीकरण करवा सकते हैं।

यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, पीएम- वाईएएसएएसवीआई योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए डॉ. अबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना, ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना, कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा स्कॉलरशिप स्कीम और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि 31 अक्तूबर तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद 15 नवंबर तक प्रथम स्तर का सत्यापन किया जाएगा। जबकि, द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पात्र विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अनुराग ठाकुर ने युवाओं से 13–15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान के उत्सव के एक भाग के रूप में युवाओं से 13 से 15

अगस्त 2022 तक अपने घरों में तिरंगा फहराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा किद्य आज 'अगस्त क्रांति' दिवस है और इस अवसर पर हमारे युवाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ पूरे विश्व के शीर्ष पर तिरंगा फहराने की शपथ लेनी चाहिए। अनुराग ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि तिरंगे की शक्ति 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करती है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे युवाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वे देश को एकजुट रखेंगे और भारत को आगे ले जाते हुए मजबूत बनाएंगे। वे आज शिमला में नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों, एनएसएस स्वयंसेवकों और विभिन्न युवा मंडलों के साथ आयोजित एक युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र, शिमला(हि. प्र.) द्वारा किया गया था।

युवाओं के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने भारत दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से युवा पीढ़ी में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक युवा को अपने राज्य और देश के अन्य स्थानों और हिस्सों का दौरा करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए जिससे उनमें अपनेपन और देशभक्ति की भावना का संचार होगा और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने विभिन्न राज्यों की भाषाओं, संस्कृति और विभिन्न व्यंजनों की बाधाओं को तोड़ने में 'एके भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) कार्यक्रम की भूमिका का भी उल्लेख किया, जो विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे के करीब लाता है। मंत्री ने कहा कि यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए काम करेगा और इस तरह भारत के गौरव को बढ़ाएगा।

प्रतिभागियों के साथ खुलकर चर्चा में अनुराग ठाकुर ने देश के विभिन्न मुद्दों और समस्याओं पर युवाओं के विचार जानने का प्रयास किया। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस स्वयंसेवकों और विभिन्न युवा मंडलों के युवाओं के साथ महिला सशक्तिकरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कौशल विकास, खेलों की भूमिका, फिट इंडिया मूवमेंट और करियर परामर्श के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसी बैठकें होती रहेंगी ताकि देश के युवा सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकें और सरकार से संपर्क कर सकें।

मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे हर घर जल योजना, स्वच्छता, उज्ज्वला योजना, और डिजिटल इंडिया आदि की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 250 जिम स्थापित किए हैं।

मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि खेलों में हमारी उपलब्धियां कई गुना बढ़ गई हैं जैसा कि हाल के राष्ट्रमंडल खेलों के परिणामों से पता चलता है कि भारत ने 61 पदक प्राप्त किए और टूर्नामेंट में चौथा स्थान हासिल किया।

घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाकर चुनावी वायदे पूरा करेगी कांग्रेस:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही अपने घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बना कर लोगों से किये अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि लोगों को कांग्रेस से बहुत उम्मीदें है, उन उम्मीदों पर खरा उतरना ही कांग्रेस का मुख्य मकसद है।

यहां जारी एक बयान में प्रतिभा सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिये नियुक्त किये पार्टी के पर्यवेक्षकों और अन्य नेताओं के साथ हुई बैठकों पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ताओं में चुनावों के प्रति बहुत उत्त्साह है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार उप चुनावों में कांग्रेस की जीत का एक बड़ा संदेश देश मे गया था, जब केंद्र में भाजपा सरकार को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा था कि लोग बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी से ग्रस्त है और आहत है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा ही अवसरवाद की राजनीति करती रही है जिसका खामियाजा देश को भुगतान पड़ रहा है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की लहर चार उप चुनावों से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनबल है जबकि भाजपा धनबल से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और प्रदेश में इस सरकार की विदाई तय है।

कुल्लू में नष्ट किए 5 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थः जय राम ठाकुर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत भारत को नशामुक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आहवान और 15 अगस्त तक 75000 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट करने का लक्ष्य हासिल करने की कड़ी में कुल्लू जिला में 110 किलोग्राम भांग-चरस और 06.02 किलोग्राम हेरोइन एवं चिट्टा नष्ट किया गया है।

जय राम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की मंडी रेंज के उप महानिरीक्षक मधुसूदन के नेतृत्व में रेंज स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति की निगरानी में ये नशीले पदार्थ नष्ट किए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस उच्च स्तरीय टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों और स्थानीय मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में प्लॉट नंबर-40 औद्योगिक क्षेत्र शमशी जिला कुल्लू में बॉयलर के माध्यम से इन नशीले पदार्थों को नष्ट किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नष्ट किए गए नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन 25 करोड़ सदस्यों पेंशनभोगियों और हितधारकों का सामाजिक सुरक्षा कवच

शिमला/शैल। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) दुनिया के सबसे बड़े 'सामाजिक सुरक्षा संगठन' में से एक है, जो सन 1952 से लगभग 25 करोड़ सदस्यों, पेंशनभोगियों और हितधारकों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

विश्वव्यापी कवरेज का विस्तार करने और हमारे हितधारकों के लिए 'निर्बाध' (समेकित एवं निरंतर) सेवा को प्रदान करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य और दृष्टि के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने समय समय पर सदस्यों और पेंशनभोगियों के लिए जीवन व्यापन में आसानी तथा भारत सरकार के अत्याधुनिक प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर नियोक्ताओं के लिए व्यापार करने में आसानी एवं लाखों लोगों तक पहुच बनाने के लिए अनेकों पहल की हैं।

ईपीएफओ ने अपने सदस्यों, विशेष रूप से पेंशनभोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता में, कर्मचारी परिवार पेंशन (एफपीएफ़) योजना 1971 से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) 1995 में एक आदर्श बदलाव करके एक लंबा सफर तय किया है, जिससे न केवल 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अपने सदस्यों को पेंशन देना, बल्कि विधवा पेंशन, बाल पेंशन, अनाथ पेंशन, विकलांगता पेंशन और सदस्य की मृत्यु या विकलांगता पर सदस्य के लाभार्थी को नामित पेंशन देना शामिल हैं।

जुलाई, 2020 में ईपीएफओ द्वारा एक पहल 'प्रयास' शुरू की गई, जिसमें पेंशनभोगी को सेवानिवृत्ति की तारीख पर पीपीओ सौंपे जाने थे। 'प्रयास' पहल को बढ़ावा देने के लिए वेबिनार का आयोजन हर महीने सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों और नियोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए शुरू किया गया था ताकि वे सभी पहलुओं में पेंशन दावों को पूरा कर सकें और ईपीएस 1995 सदस्यों को सेवानिवृत्ति के दिन ईपीएफओ पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी कर सकें। परिणामस्वरूप ईपीएफओ ने कोरोना की बाध्यता के बावजूद 2020 में सेवानिवृत्ति के दिन 6000 से अधिक पी.पी.ओ. सौंपे।

इस दिशा में, ईपीएफ पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में और सुधार लाने के लिए वैश्विक मानकों और सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ती के दिन पेंशन प्राप्त करने के अनुरूप, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के मार्गदर्शन एवं आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल) और आंचलिक कार्यालय गुजरात के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की पहल ने अब 'प्रयास' से 'विश्वास' के दृष्टिकोण में कुछ चयनित मामलों में सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख को पीपीओ वितरण के लिए विश्वव्यापी पहुच के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाने का फैसला किया है। चूंकि हमारा देश आजादी और इसके लोगों की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के 75 साल का जश्न मनाने के लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' मना रहा है, इसलिए इस गौरवशाली अवसर पर ईपीएफओ का पंजाब और हिमाचल क्षेत्र इस नई पहल 'प्रयास से विश्वास-सेवानिवृति की तारीख पर सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों को पेंशन के वितरण की दिशा में एक पहल के तहत 12 अगस्त, 2022 को पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में स्थित सभी क्षेत्रिय कार्यालयों में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस पहल के तहत, 12 अगस्त, 2022 तक सभी पात्र सेवानिवृत्त सदस्यों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के दिन पीपीओ प्राप्त किये गए। क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला के कार्यालय प्रभारी अधिकारी और उनकी टीम द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर, स्कूल शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान समारोह के मुख्य अतिथि लेख राज ठाकुर, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, शिमला ने 45 पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान आदेश वितरित किए। इस उपलक्ष पर गुलशन राम, सहायक भविष्य निधि आयुक्त, ने सभी प्रतिष्ठानों से अपील की, कि वे सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारियों से सभी संबंधित कागजात पूर्ण करा लें तथा सेवानिवृति वाले माह के प्रारम्भ में ही फॉर्म-10 डी, अन्य सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करवाये अथवा मेंबर पोर्टल से ऑनलाइन 10डी दावा दायर करे ताकि कार्यालय समय पर औपचारिकतायें पूरी कर सके और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) सौंप सकें। इसके अतिरिक्त पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर सहायता केंद्र भी स्थापित किए गया था। ईपीएफओ, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा की गई विभिन्न पहलों को भी कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किया गया।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित अधिकारियों को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय

Sh. Virender Sharma, SP

द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रपति पुलिस पदक और तीन पुलिस पदक से सम्मानित हिमाचल प्रदेश पुलिस के अधिकारियों को बधाई दी है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस

Inspector Praveen Kumar

अधीक्षक सोलन वीरेन्द्र शर्मा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण एवं प्रशासन) दिनेश कुमार यादव, हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र डरोह में तैनात निरीक्षक प्रवीण कुमार तथा टीटीआर इकाई शिमला के सहायक

Sh. Dinesh Kumar Yadav, IGP

उप-निरीक्षक किशोर कुमार को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, प्रतिबद्धता और दक्षता के लिए इन अधिकारियों

ASI Kishore Kumar

को इन प्रतिष्ठित पदक के लिए चुना गया है। जय राम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि प्रदेश के अन्य पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी इससे प्रेरणा लेकर अपने-अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करेंगे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिटंर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सरकार की राजनीतिक सेहत पर भारी पड़ सकता है धारा 118 में किया गया संशोधन

- उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक दो वर्ष की समय सीमा को जायज ठहरा चुके हैं।
- जब सरकार यह संशोधन ला रही थी तब उसके पास यह जानकारी कैसे नहीं थी कि कितने अधिकारियों ने 118 के तहत खरीद की अनुमति मांगी है।
- ऐसे कितने और किस–किस के मामले हैं जो दो वर्षों में जमीन को उपयोग में नहीं ला पाये हैं।

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के विधानसभा के अंतिम सत्र के अंतिम दिन नौ विधेयक पारित किये हैं। यह विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचित होकर कानून की शक्ल लेंगे और उसके बाद जनता के व्यवहार में आकर उसकी प्रतिक्रियाओं का आधार बनेंगे। यह सब इस सरकार के बचे हुए कार्यकाल में संभव नहीं होगा। स्वभाविक है कि यह विधेयक पारित करवाकर चुनावी लाभ लेना सरकार का सबसे बड़ा मकसद रहेगा। इन विधेयकों की यदि प्रदेश की जनता को आवश्यकता थी तो इन्हें विधानसभा के पहले सत्र में ही क्यों नहीं लाया गया? क्या इनकी जन उपादेयता समझने में ही सरकार को पांच वर्ष लग गये? यह सवाल आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बनेंगे यह तय है। सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से भी कोई बड़े सवाल इस संद्धर्भ में सामने नहीं आये हैं। इन नौ विधेयकों में एक विधेयक के माध्यम से भू–अधिनियम की धारा 118 में भी संशोधन किया गया है। स्मरणीय है कि धारा 118 के उपयोग/दुरुपयोग को लेकर प्रदेश की सरकारों पर हिमाचल ऑन सेल के आरोप लगते आये हैं। इन आरोपों को लेकर कई जांच आयोग भी बैठ चुके हैं। अभी जब सरकार यह संशोधन ला रही थी तभी इसी सत्र में एक सवाल के माध्यम से सरकार से यह पूछा गया था कि उसने कितने आईएएस/ आईपीएस /एच ए एस अधिकारियों को सेब के बगीचे खरीदने की अनुमति दी है? सरकार ने इन्हें भू–राजस्व कानून की धारा 118 के प्रावधानों से छूट प्रदान की है। सरकार ने इन प्रश्नों के उत्तर में मुकेश अग्निहोत्री को बताया है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। जब सरकार धारा 118 में संशोधन प्रस्तावित कर रही थी तभी 118 से जुड़े प्रश्न पर सूचना एकत्रित किये जाने का उत्तर अपने में ही कई सवालों को जन्म दे जाता है। धारा 118 में प्रावधान है कि कोई भी गैर कृषक हिमाचल में सरकार से अनुमति लेकर गैर कृषि उद्देश्य के लिये जमीन खरीद सकता है। ऐसी अनुमति से खरीदी गयी जमीन को खरीद उद्देश्य के लिये दो वर्ष के भीतर उपयोग में लाना होगा। इस समय सीमा को सरकार की अनुमति से एक वर्ष और बढ़ाने का प्रावधान है। अब इसमें संशोधन करके तीन की बजाय पांच वर्ष तक कर दिया गया है। इसके लिये तर्क दिया गया है कि दो वर्ष के समय में प्राय व्यक्ति उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाता है जिसके लिये उसने जमीन खरीदी होती है। हिमाचल पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां के लोगों के पास काश्तकारी बड़ी छोटी छोटी है। जब 1953 में बड़ी जमींदारी खत्म किये जाने का अधिनियम आया था और बड़े जमींदार की परिभाषा में वही लोग आये थे जो सौ रूपये या उससे अधिक का लगान देते थे। उस समय बड़े जमीदारों राज परिवारों के अतिरिक्त कुछ अन्य परिवार आये थे। इस अधिनियम के बाद 1972 में लैण्ड सीलिंग एक्ट आ गया था। इसमें काश्त की अधिकतम सीमा 161 बीघे कर दी गयी। फिर 1974 में भू–राजस्व अधिनियम आ गया इसमें गैर कृषकों के लिये भूमि खरीद पर यह बन्दिश लगा दी गयी कि वह सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसा नहीं कर सकते। इसमें दो वर्ष की सीमा लगायी गयी थी। इस प्रावधान को 1975 में ही चुनौती दे दी गयी थी। बल्कि कई बार ऐसा हुआ है लेकिन उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ने इस प्रावधान और दो–वर्ष की समय सीमा को जायज ठहराया है। 1995 से लेकर 2010 तक आश्य की आयी छः याचिकाओं पर 1 अक्तूबर 2013 को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की खण्डपीठ ने विस्तृत फैसला देते हुए दो वर्ष की मूल समय सीमा और उसके बाद एक वर्ष के विस्तार को पूरी तरह जायज ठहराते हुये सभी छः याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि The act is of agrarian and reforms and purpose of the act is to check accumulation of property in the hands of few moneyed people. The provision has been made in the act for transfer of land in favour of genuine non- agriculturists with the permission of the State Government who want to use the land for specific purpose. one of the test of genuineness of transfer in favour of non-agriculturist with the permission of the state government is that the land is used by the non-agriculturist/purchaser immediately after its purchase for the purpose it has been purchased by him. Such purchaser before purchase of land with the permission of Government is expected to plan his project knowing fully time within which land is to be put to use for which it has been purchased. The initial period fixed for using the land in extendable as provided in the act. In these circumstances, the stipulation of two years initially with extension of one year to use the land after purchase by non-agriculturist for the purpose for which it has been purchased cannot be said to be arbitrary. Similarly the non-agriculturist after purchase cannot be allowed to divert the purpose for which he has purchased the land without the permission of the State Government. These conditions are necessary to achieve the object of the act. On the basis of individual difficulty in a given case it cannot be said that third proviso to sub-section 2 of section 118 is arbitrary.

आज जय राम सरकार को अदालत के फैसले को पलटने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ऐसे कितने मामले सरकार के पास लंबित है जो तीन वर्षों में भी खरीदी जमीन को उपयोग में नहीं ला पाये हैं। ऐसे कितने लोगों के खिलाफ इसी अधिनियम के प्रावधान के तहत कारवाई की अनुशंसा प्रस्तावित थी। अब इन सारे सवालों पर चर्चायें उठेगी ऐसा माना जा रहा है। धारा 118 में किया गया संशोधन सरकार की राजनीतिक सेहत पर कहीं भारी न पड़ जाये यह आशंका बराबर बनी हुई है।

जब अंतिम सत्र में भी सूचना एकत्रित करने का ही जवाब आये तो सत्ता में वापसी का दावा....?

पांच वर्ष में लोकायुक्त न लगा पाना भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स है क्या?

शिमला/शैल। जयराम सरकार के कार्यकाल का अंतिम विधानसभा सत्र समाप्त हो गया है। इस सत्र की समाप्ति पर मीडिया को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि प्रदेश की जनता इस बार एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस के चलन को समाप्त कर भाजपा को पुनः सत्ता में लायेगी। एक राजनेता और वर्तमान मुख्यमन्त्री होने के नाते ऐसा दावा करना उनका न केवल अधिकार ही है बल्कि कर्तव्य भी है। क्योंकि यदि एक वर्तमान मुख्यमंत्री ही ऐसा दावा नहीं करेगा तो फिर पार्टी किस मनोबल के साथ चुनाव में जायेगी। क्योंकि इस बार जनता पार्टी के वायदों पर नहीं बल्कि पांच वर्षो की कारगुजारी पर वोट देगी। सरकार की कारगुजारी का प्रमाण पत्र जितना जनता होती है उतना ही बड़ा प्रमाण पत्र विधानसभा में विधायकों द्वारा सरकार से पूछे गये सवाल पर सरकार द्वारा सदन में दिये गये जवाब होते हैं। इस परिपेक्ष में विधानसभा का अंतिम सत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी सत्र में विधायकों का तीखापन और उसी अनुपात में सरकार की तैयारी उसके जवाबों से सामने आती है। जब सरकार सदन में किसी सवाल का जवाब यह कहकर टाल जाती है कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है तो उससे पता चलता है कि पूछे गये सवाल के जवाब में कुछ ठोस कहने लायक सरकार के पास नहीं है। बल्कि कई बार ऐसे जवाब आगे चलकर विजिलैन्स जांच तक का विषय बन जाते हैं। इस परिदृश्य में यदि इस सत्र में आयें ऐसे सवालों पर नजर डाली जाये जिनके जवाब में ''सूचना एकत्रित की जा रही है'' कहा गया है क्योंकि ऐसे सवाल अंतिम सत्र के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। पिछले कई सत्रों से सरकार से यह पूछा जा रहा था कि उसने अपने प्रचार प्रसार पर कितना खर्च किस माध्यम से किया है। उसने कितने और कौन–कौन से समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किये हैं। सरकार ने हर सत्र में ''सूचना एकत्रित की जा रही है'' का ही जवाब दिया है इस अंतिम सत्र में भी यही जवाब दिया है कि अभी भी सूचना एकत्रित की जा रही है। स्मरणीय है कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर ने एक पत्रकार वार्ता में सरकार की प्रचार प्रसार नीति पर ऐसे गंभीर सवाल उठाये हैं जो निश्चित रूप से विजिलैन्स जांच का विषय बनते हैं। यह एक सामान्य नियम है कि सरकार जो भी किसी भी माध्यम से विज्ञापित करती है उस पर प्रिंट लाइन का होना कानूनी आवश्यकता है। जो बड़े–बड़े होर्डिंग लगाये जाते हैं उन पर प्रिंट लाइन के साथ ही उन्हें किसी सार्वजनिक स्थल पर लगाने के लिए प्रशासन से भी अनुमति लेनी पड़ती है। कई बार ऐसे होर्डिंग सार्वजनिक स्थलों पर लगे देखने को मिले हैं। जिन पर प्रिंट लाइन नहीं थी। माल रोड पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बिना प्रिंटलाइन के होर्डिंग लग चुके हैं। जब शैल ने यह विषय उठाया था तब तुरन्त उन्हें हटा लिया गया था। प्रचार प्रसार के संद्धर्भ में पूछे गए सवाल का जवाब इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि इसमें सरकार से तीखा सवाल पूछने वाले समाचार पत्रों को विज्ञापनों से वंचित रखा गया है। लेकिन सरकार तो इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पायी है कि सरकार के कितने विभागों/निगमों में कितने पद सृजित है, स्वीकृत हैं–कितने पद रिक्त हैं– कितनों को रोजगार दिया गया है। यह सवाल भी पूछा गया था कि प्रदेश में विभिन्न स्तर के कितने अस्पताल–औषधालय हैं। इनमें डॉक्टरों के कितने पद सृजित और रिक्त हैं। इस पर भी सूचना एकत्रित की जा रही है का ही जवाब दिया गया है। ऐसे और भी कई सवाल हैं जिन में सूचना एकत्रित किये जाने का ही जवाब दिया गया है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे विषय हैं जो प्रदेश के हर व्यक्ति को सीधे प्रभावित करते हैं। इनमें सरकार अपनी उपलब्धियों के ढोल पीटती रही है। लेकिन जहां जिस मंच पर इन से जुड़े तथ्य रखे जाने थे वहां जब सरकार के पास कार्यकाल के अन्त में भी सूचना एकत्रित की जा रही है कहकर जवाब से टलना पड़े तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की करनी और कथनी में दिन रात का अन्तर है। शायद इसी व्यवहारिक जमीनी हकीकत के कारण अब तक हुये सभी चुनावी सर्वेक्षणों में सरकार सत्ता में वापसी नहीं कर पायी है। वैसे भी जो सरकार पांच वर्ष में लोकायुक्त का पद न भर पायी हो उसके भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स के दावों पर कोई कैसे विश्वास कर पायेगा। आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना न मांग ले इसलिये सूचना आयुक्त के पद को खाली रखने में ही भलाई मानी जा रही है। ऐसे में यह सवाल तो उठेगा ही कि जो सरकार संवैधानिक पदों को भरने में विश्वास न रखती हो और विधानसभा के अन्तिम सत्र में भी जनहित के तीखे सवालों पर अभी सूचना ही एकत्रित कर रही हो वह सत्ता में वापसी की हकदार कितनी और कैसे हो सकती है।